**न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, किशनगढ़, जिला- अजमेर**

पीठासीन अधिकारी :- संदीप आनन्द, आर.जे.एस.
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

क्लेम याचिका संख्या :- 80/2020

सीआईएस संख्या :- 80/2020

सुभाष खोरवाल पुत्र श्री रामरतन खोरवाल, आयु 26 वर्ष, निवासी ग्राम रेगरान मौहल्ला, हरमाडा, पुलिस थाना बान्दरसिन्दरी जिला अजमेर।

प्रार्थी/आहत

बनाम

01 श्री यासीन उर्फ आसीन मौहम्मद पुत्र श्री अजीम मौहम्मद उर्फ अजीम खां, निवासी ग्राम देशवालीयों की ढाणी, गोपालपुरा, तहसील फूलेरा, जयपुर ग्रामीण, जिला जयपुर (वाहन चालक मोटर साईकिल संख्या RJ47-SC-4889)

02 श्री बाबू मोहम्मद पुत्र श्री नजीर खान, निवासी ग्राम देशवाली की ढाणी, गोपालपुरा, पुलिस थाना सांभर, जयपुर ग्रामीण, जिला जयपुर- 303335 (वाहन स्वामी वाहन मोटर साईकिल संख्या RJ47-SC-4889)

03 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये इसके मण्डलीय प्रबंधक, मण्डल कार्यालय, पटवारी महात्मा गांधी मार्ग, फर्स्ट फ्लोर, कचहरी रोड, अजमेर। (बीमा कम्पनी वाहन मोटरसाईकिल संख्या RJ47-SC-4889 बीमा अवधि दिनांक 28.04.2017 से 27.04.2018 तक उपरोक्त कार्यालय से मान्य व वैध)

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 166, 140 मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1994**

उपस्थितिः-

1.श्री पवन प्रकाश कुमावत, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

3.श्री नरेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03/बीमा कंपनी की ओर से।

**निर्णय दिनांक 07-04-2026**

1. प्रार्थी सुभाष की ओर से सड़क दुर्घटना में स्वयं के घायल होने के परिणामस्वरूप दिनांक 25-11-2020 को हस्तगत याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका में प्रार्थी ने मोटरसाइकिल संख्या RJ47-SC-4889 को प्रश्नगत किया है।

2. प्रस्तुत याचिका में संक्षिप्त तथ्य यह बताये गये हैं कि प्रार्थी सुभाष दिनांक 23.01.2018 को समय शाम के करीब 7.00 बजे के आसपास मोटर साईकिल संख्या RJ01-SK-2141 से हरमाडा से किशनगढ मार्बल एरिया मे काम पर जा रहा था तथा इसी क्रम में जब वह पुलिस थाना से दूरी लगभग 10 कि.मी, उत्तर पश्चिम दिशा पर पहुंचा कि तभी किशनगढ से हरमाडा रोड पर मोटर साईकिल संख्या RJ47-SC-4889 का चालक अप्रार्थी संख्या 1 अपने वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाता हुआ आया और अपनी सही दिशा व साइड में चलती हुई प्रार्थी की मोटर साईकिल के गलत साइड मे आकर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी सुभाष के पैर में गंभीर चोटे आई। इस दुर्घटना के घटित होने पर पुलिस थाना बान्दरसिंदरी, जिला अजमेर ने जरिए प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12/2018 अन्र्तगत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया और बाद तफतीश इस प्रकरण में वाहन संख्या RJ47-SC-4889 के चालक के खिलाफ जुर्म धारा 279, 337 व 338 आई पी सी के तहत चालान प्रस्तुत किया। यह दुर्घटना वाहन संख्या RJ47-SC-4889 के चालक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने वाहन को अत्यन्त तीव्र गति से गफलत एवं लापरवाही से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की, जिससे प्रार्थी के गंभीर चोटे आई व उसके स्थायी अपंगता कारित हुई। वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या 1 वाहन मोटरसाईकिल संख्या RJ47-SC-4889 का चालक था तथा विपक्षी संख्या 2 वाहन मोटरसाईकिल संख्या RJ47-SC-4889 का पंजीकृत स्वामी है तथा जिनके नियोजन, लाभार्थ व निर्देशानुसार विपक्षी संख्या 1 उक्त वाहन को चला रहा था। वक्त

दुर्घटना विपक्षी संख्या 3 के यहां उक्त वाहन विपक्षी संख्या 2 के नाम से बीमित था। इस प्रकार अप्रार्थीगण प्रार्थी को चाही गई प्रतिकर की राशि अदा करने के लिए संयुक्त रूप से व पृथक पृथक रूप से जिम्मेदार है। अतः प्रार्थी ने विभिन्न मदों में अप्रार्थीगण से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से प्रतिकर राशि क्रमशः रुपये 34,13,000/- (चौंतीस लाख तेरह हजार रूपये) दिलाये जाने की मांग की।

3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बाद तामिल उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 05-02-2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी ने उक्त याचिका का जवाब इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि दुर्घटना दिनांक 23.01.2018 को घटित होना बताया गया है जिसमें मोटर साईकिल नम्बर आर.जे.14-डीडी-4979 के चालक द्वारा सुभाष खोरवाल के टक्कर मारना बताया है जबकि कथित दुर्घटना की रिपोर्ट दिनाक 24.01.2018 को दर्ज करवायी गयी है। उक्त मोटर साईकिल का बीमा नहीं होने के कारण प्रार्थी अनुसंधान अधिकारी व अप्रार्थीगणों से मिलीभगत करके बीमा कम्पनी में बीमित वाहन के विरूद्ध चार्जशीट पेश की है। प्रार्थी ने पुलिस अनुसंधान अधिकारी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं समस्त गवाह जो कि प्रार्थी के हितबद्ध है से मिलीभगत करके क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से कथित दुर्घटना में उक्त वाहन को झूठा व बेबुनियाद संलिप्त बताया गया है। गवाह रोडू मोहम्मद, मुंशी खां, अलाबक्ष, सुलेमान, नाथू, सरीफ आहत सुभाष एवं किशनलाल इन सभी के बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान एक महिने बाद लिये गये है जिसमें मोटर साईकिल नम्बर आर.जे.47-एस.सी.-4889 होना बताया है जब कि कथित दुर्घटना की रिपोर्ट प्रार्थी के पिता रामरतन द्वारा दिनांक 24.01.2018 को दर्ज करवायी गयी है जिसमें मोटर साइकिल नम्बर आर.जे. 14-डीडी-4978 के विरूद्ध दर्ज करायी है। इससे स्पष्ट है कि कथित दुर्घटना मोटर साईकिल नम्बर आर.जे.14-डीडी-4978 ने दुर्घटना कारित की है। परन्तु उक्त वाहन का बीमा नहीं होने के

कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व समस्त गवाह जो हितबद्ध है एवं पुलिस अनुसंधान अधिकारी से मिलीभगत करके बीमा कम्पनी में बीमित वाहन को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से झूठा व बेबुनियाद लिप्त करवाया है। वक्त दुर्घटना वाहन नं० आर.जे.47-एस.सी.-4889 के चालक के पास वैद्य एवं प्रभावी लाईसेन्स नहीं था। दुर्घटना की सूचना प्रार्थी या वाहन स्वामी ने अप्रार्थी संख्या 3 को नहीं दी। हस्तगत दुर्घटना मोटर साईकिल नं० आर.जे.14-डीडी-4979 के चालक की गलती, लापरवाही से घटित हुई है। प्रार्थी ने उक्त वाहन के चालक, स्वामी, बीमा कम्पनी को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। कथित दुर्घटना के समय बीमित वाहन के चालक के पास फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि प्रभाव में नहीं था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध बीमा कपंनी खारिज फरमाया जावें।

5. याचिका में पक्षकारों के आये उपरोक्त अभिवचनों व दस्तावेजों के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा निम्नांकित तनकीयात की संरचना की गयी:-

1. आया दिनांक 23.01.2018 को समय शाम करीबन 07 बजे पर पुलिस थाना बांदरसिंदरी से बजानिब उत्तर-पश्चिम दिशा बफासला 10 कि.मी. की दूरी पर उस समय घटित हुई जब प्रार्थी अपनी मोटरसाईकिल आर जे 01 एस के 2141 से हरमाडा से किशनगढ मार्बल एरिया में काम पर जा रहा था जब वह सरहद फलीदा प्याउ के पास पहुंचा तभी अप्रार्थी संख्या 01 ने मोटरसाईकिल संख्या आर जे 47 एस सी 4889 का चालक अपने वाहन को तेज गति लापरवाही पूर्वक चलाकर अपनी सही दिशा व साइड में चलती हुई प्रार्थी की मोटरसाईकिल को गलत साइड में आकर टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की जिससे प्रार्थी चोटग्रस्त होकर निःशक्त हुआ?
2. आया अप्रार्थीगण द्वारा जवाब क्लेम में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार उनके विरूद्ध क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ?

3. आया दुर्घटना में प्रार्थी सुभाष खोरवाल चोटग्रस्त होकर निःशक्त होने से मांग पत्र की मद संख्या-24 में वर्णितानुसार विपक्षीगण से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से 34,13,000 /- रूपए प्राप्त करने की अधिकारी है ?

4. अनुतोष ?

6. प्रार्थी की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड. 1 सुभाष को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में आरोप पत्र प्रदर्श 01, एफआईआर प्रदर्श 02, फर्द जब्ती मोटरसाईकिल नंबर आर जे 47 एस सी 4889 प्रदर्श 03, सुभाष का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 04, नोटिस 133 एम वी एक्ट प्रदर्श 05, नोटिस 134 एम वी एक्ट प्रदर्श 06, मेकेनिकल मुआयना प्रदर्श 07, वाहन संख्या आर जे 47 एस सी 4889 का रजिस्ट्रेशन प्रदर्श 08, इंश्योरेंस प्रदर्श 09, डाईविंग लाईसेस आसीन प्रदर्श 10, स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र प्रदर्श 11, पी.डी. रसीद प्रदर्श 12 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया।

7. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य समाप्त किए जाने के पश्चात् अप्रार्थीगण की ओर से इसके खंडन में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। जिस पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

8. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी सुभाष दिनांक 23-01-2018 को शाम करीब 7 बजे अपनी मोटरसाइकिल से किशनगढ़ मार्बल एरिया में काम पर जा रहा था रास्ते में फालौदा प्याउ के पास पुलिस थाना बांदरसिंदरी के पास किशनगढ़ से हरमाड़ा रोड पर मोटरसाइकिल संख्या आरजे-47 एससी 4889 के चालक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर प्रार्थी की मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी जिससे प्रार्थी के गंभीर चोटें कारित हुई। प्रार्थी के पिता द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसमें गलती से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर गलत अंकित कर दिए गए।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय प्रार्थी बीमार होकर इलाजरत था जिसके कारण उसके द्वारा सही नंबर अपने पिताजी को नहीं बताए जा सके। मुकामी पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान कर हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत वाहन मोटरसाइकिल संख्या आरजे-47 एससी 4889 के चालक अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध ही आरोप प्रमाणित मानकर आरोपपत्र प्रस्तुत किया है। जिससे यह साबित है कि प्रश्नगत वाहन द्वारा ही दुर्घटना कारित की गई है। प्रार्थी ने स्वयं को भी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर परिक्षित करवाया है। प्रार्थी के शरीर पर आई चोटें उसके चोट प्रतिवेदन व अन्य चिकित्सीय दस्तावेजों से साबित हैं। ऐसी स्थिति में हस्तगत याचिका स्वीकार कर वांछित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण से दिलाई जाए।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कंपनी ने अपनी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में दुर्घटना मोटरसाइकिल संख्या आरजे 14 DD 4979 से घटित हुई थी एवं इसी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी के पिता रामरतन द्वारा दर्ज करवाई गई। मुकामी पुलिस ने अपने आरोपपत्र में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि उसके द्वारा किस आधार पर हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत वाहन आरजे 47 SC 4889 को लिप्त होना माना है। इसके अतिरिक्त फौजदारी प्रकरणों में आरोपपत्र प्रस्तुत किए जाने मात्र से प्रार्थी की क्लेम याचिका को साबित होना नहीं माना जा सकता। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने किसी भी चश्मदीद गवाह को या स्वयं परिवादी को इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर परिक्षित नहीं करवाया है। स्वयं प्रार्थी ने अपने जिरह में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित वाहन को सही होना माना है। प्रार्थी अपनी याचिका को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है अतः हस्तगत याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाए।

10. हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस अधिकरण का तनकीवार विश्लेषण व निष्कर्ष निम्न प्रकार है-

**तनकी संख्या 01 व 02**

11. तनकी संख्या 01 यह है कि "आया दिनांक 23.01.2018 को समय शाम करीबन 07 बजे पर पुलिस थाना बांदरसिंदरी से बजानिब उत्तर-पश्चिम दिशा बफासला 10 कि.मी. की दूरी पर उस समय घटित हुई जब प्रार्थी अपनी मोटरसाईकिल आर जे 01 एस के 2141 से हरमाडा से किशनगढ मार्बल एरिया में काम पर जा रहा था जब वह सरहद फलीदा प्याउ के पास पहुंचा तभी अप्रार्थी संख्या 01 ने मोटरसाईकिल संख्या आर जे 47 एस सी 4889 का चालक अपने वाहन को तेज गति लापरवाही पूर्वक चलाकर अपनी सही दिशा व साइड में चलती हुई प्रार्थी की मोटरसाईकिल को गलत साइड में आकर टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की जिससे प्रार्थी चोटग्रस्त होकर निःशक्त हुआ?"

12. तनकी संख्या 02 यह है कि "आया अप्रार्थीगण द्वारा जवाब क्लेम में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार उनके विरूद्ध क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ?"

13. तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार प्रार्थी पर व तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर था। इस संबंध में सर्वप्रथम बीमा कंपनी की यह आपत्ति रही है कि प्रार्थी के साथ हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत वाहन संख्या आरजे 47 SC 4889 के चालक द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई अपितु यह दुर्घटना मोटरसाइकिल संख्या आरजे 14 DD 4979 के चालक द्वारा कारित की गई है। प्रार्थी ने स्थानीय पुलिस से साजबाज होकर गलत आरोप पत्र प्रस्तुत करवाया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो हस्तगत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 2 दिनांक 24-01-2018 को प्रार्थी के पिता राम रतन द्वारा दर्ज करवाई गई है अर्थात यह रिपोर्ट घटना की दिनांक 23-01-2018 के अगले

ही दिन दर्ज करवाई गई है। इस रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर RJ 14 DD 4979 होना अंकित किए गए हैं। इस एफआईआर पर बाद अनुसंधान जो आरोपपत्र प्रदर्श 1 मुकामी पुलिस बांदरसिंदरी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उस आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह आरोपपत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित मोटरसाइकिल संख्या आरजे 14 DD 4979 के चालक के विरुद्ध प्रस्तुत न होकर प्रश्नगत वाहन संख्या आरजे 47 SC 4889 के चालक अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। परंतु इस आरोपपत्र में कहीं भी मुकामी पुलिस ने यह अंकित नहीं किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित मोटरसाइकिल आरजे 14 DD 4979 के चालक के विरुद्ध आरोपपत्र प्रमाणित किन आधारों पर नहीं माना है एवं आरोपपत्र में अंकित प्रश्नगत वाहन मोटरसाइकिल संख्या आरजे 47 SC 4889 के चालक के विरुद्ध आरोप किन किन आधारों पर प्रमाणित माना है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल मात्र आरोपपत्र प्रस्तुत किए जाने के आधार पर ही प्रार्थी की याचिका को साबित होना नहीं माना जा सकता। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले परिवादी रामरतन को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर परिक्षित नहीं करवाया है न ही अन्य किसी चश्मदीद गवाह को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर परिक्षित करवाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी रामरतन ने दुर्घटना की सूचना उसके भाई किशनलाल द्वारा उसे दिए जाने का अंकन किया है, परंतु इस किशनलाल को भी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर परिक्षित नहीं करवाया गया है। प्रार्थी ने स्वयं को एडब्लू-1 के रूप में अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर परिक्षित करवाया है, जिसकी जिरह में प्रार्थी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पिताजी ने एक दिन बाद दुर्घटना की रिपोर्ट सोच-समझकर दर्ज करवाई थी। यहाँ तक कि इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि प्रदर्श 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट में मोटरसाइकिल नंबर सही दर्ज करवाए हैं जो उसके पिताजी ने लिखवाए थे। उसके पिता जी के धारा 161 जाब्ता फौजदारी के बयानों को एनए-1

के रूप में अपनी जिरह में प्रदर्शित किया है। इन बयान प्रदर्श एनए-1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन बयानों में भी प्रार्थी के पिता परिवादी राम रतन ने दुर्घटनाग्रस्त कारित करने वाले वाहन के नंबर RJ 14 DD 4979 ही बताए हैं। प्रार्थी की ओर से जो अन्य दस्तावेजात इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाए हैं उन दस्तावेजों में कहीं भी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर RJ 47 SC 4889 होना अंकित नहीं है। इस तरह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि प्रार्थी के साथ प्रशनगत वाहन संख्या आरजे 47 SC 4889 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेज़ गति एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई है। परिणामतः तनकी संख्या 01 प्रार्थी के विरूद्ध व तनकी संख्या 02 अप्रार्थी बीमा कंपनी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

**<u>तनकी संख्या 03</u>**

14. तनकी संख्या 03 यह है कि आया दुर्घटना में प्रार्थी सुभाष खोरवाल चोटग्रस्त होकर निःशक्त होने से मांग पत्र की मद संख्या-24 में वर्णितानुसार विपक्षीगण से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से 34,13,000 /- रूपए प्राप्त करने की अधिकारी है ?

15. चूंकि तनकी संख्या 1 प्रार्थी के विरूद्ध व तनकी संख्या 2 अप्रार्थी बीमा कंपनी के पक्ष में निर्णित की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी, अप्रार्थीगण से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

**<u>तनकी संख्या 4 अनुतोष</u>**

16. चूंकि तनकी संख्या 1 प्रार्थी के विरूद्ध व तनकी संख्या 2 अप्रार्थी बीमा कंपनी के पक्ष में निर्णीत की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत याचिका अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

## आदेश

17. परिणामतः प्रार्थी सुभाष खोरवाल की ओर से प्रस्तुत हस्तगत याचिका अन्तर्गत धारा 166, 140 मोटर वाहन अधिनियम 1988 वास्ते प्राप्त करने क्षतिपूर्ति राशि अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

( संदीप आनन्द )
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
किशनगढ़ जिला अजमेर

18. निर्णय आज दिनांक 07-04-2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया जाकर खुले अधिकरण में सुनाया गया।

( संदीप आनन्द )
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
किशनगढ़ जिला अजमेर

"Authenticated Documents"